

य उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली



1/2018

तारीखरजु-04.06.2018

निर्णय दिनांक:-

उपबान:- भरतलाल बनाम गिराज वगै०

दावा बाबत इस्तारारहक एवं रथाई निवेद्याज्ञा अन्तर्गत धारा 188,53,88

फर्द अहकाम	
<p>वादी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा बाबत इस्तारारहक एवं रथाई निवेद्याज्ञा अन्तर्गत धारा 188,53,88 तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 12.7.18 को को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उप-जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) </p> <p>वादी की ओर से आर्चना पत्र कथन राजीनामा हो जाने मुकदमा शोगे नष्ट - चलते स्कारिज भूखे को गिराज तलबी पेश किया। पत्रावली तलब की गई। वादी की ओर से मुकदमा शोगे नष्ट - चलते स्कारिज कथने के कथन पर दावा वादी स्कारिज किया जाता है। पत्रावली के तहत शुभत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल रफ्तार हो।</p> <p style="text-align: center;">  उप-जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) </p>	<p style="text-align: center;"> 1993-96 4/6/18 </p>